प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला जयपुर ...थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यू0 जयपुर .वर्ष 2022
प्र0इ0रि0 सं0 ..... 100 /2022................दिनांक 25/3/2022
2. (I) *अधिनियम ... धाराये. 7, (संशोधित) पीसी एक्ट 2018
(II) *अधिनियम...........धारायें ..120 बी भा.द.स.
(III) *अधिनियम ....धारायें ....
(IV) 'अन्य अधिनियम एवं धारायें ....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....476 समय . 7.00 P.M.
(ब) अपराध घटने का दिन –गुरुवार दिनांक 24.03.2022 समय 08:49 ए.एम.
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 22.02.2022 समय 11:30 ए.एम.
4. सूचना की किस्म :- लिखित / मौखिक लिखित
5. घटनास्थलः- बलाईयों की ढ़ाणी, ग्राम पंचायत छान्देल कलां, तहसील चाकसू, जयपुर
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः- दक्षिण-पूर्व दिशा दूरीं करीब 40 कि0मी0
(ब) पता :
बीट संख्या.........................जयरामदेही सं.............................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ....जिला ....
6. परिवादी / सूचनाकर्ता :-
(अ) नामः- श्री दयाराम सैनी
(ब) पिता/पति का नाम – स्व. श्री नारायण सैनी
(स) जन्म तिथि/वर्ष ....32 वर्ष.....................
(द) राष्ट्रीयता .भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय .
(ल) पता – निवासी ग्राम केशवपुरा (छान्देल खुर्द) तहसील चाकसू, जिला जयपुर, राजस्थान
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :-
श्री मुकेश कुमार बलाई पुत्र श्री कानाराम बलाई, उम्र 32 वर्ष, निवासी बलाईयों की ढ़ाणी, ग्राम पंचायत छान्देल कलां, तहसील चाकसू, जिला जयपुर हाल सरपंच ग्राम पचांयत छान्देल कलां व अन्य
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :-..कोई नहीं.....
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
15,000 रूपये रिश्वती राशि
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्यः- 15,000/-रूपये रिश्वती राशि
11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :-

हालात मामला इस प्रकार है कि दिनांक 22.02.2022 को परिवादी श्री दयाराम सैनी पुत्र स्व. श्री नारायण सैनी जाति माली, उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम केशवपुरा (छान्देल खुर्द) तहसील चाकसू, जिला जयपुर, राजस्थान ने अति0 पुलिस अधीक्षक, नगर-प्रथम, जयपुर के समक्ष एक प्रार्थना-पत्र इस आशय का पेश किया कि मैं उपरोक्त पते का रहने वाला हूं तथा सांगानेर, जयपुर में प्लम्बर का कार्य करता हूं। मैंने मेरी माताजी कालीदेवी के नाम से हमारे मकान का आवासीय पट्टा लेने के लिये ग्राम पंचायत छान्देल कला, पचांयत समिति कोटखावदा में आवेदन किया था। जिस पर ग्राम पंचायत छान्देल कलां के सरपंच मुकेश कुमार बलाई ने एक लाख रुपये रिश्वत की मांग की तथा पट्टा देने की ऐवज में धमकाकर 70 हजार रुपये स्वंय ने ले लिये तथा अब 30 हजार रुपये और मांग रहा है, जो में देना नहीं चाहता हूं तथा सरपंच को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। मेरी मुकेश कुमार सरपंच से कोई रंजिश व उधारी बकाया नहीं है। सरपंच के दलाल गिर्राज शर्मा, भगवती प्रसाद गुर्जर है, जो मुझसे तथा अन्य लोगो से भी सरपंच के लिये रिश्वत मांगते है तथा पैसा नहीं देने पर लोगों के जायज काम भी अटका देते है। उक्त को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकड़ने की कृपा करे एवं कानूनी कार्यवाही करे। मजीद दरियाफ्त पर पूछने पर परिवादी ने बताया कि ग्राम पंचायत छान्देल कला से हमारे मकान का आवासीय पट्टा लेने के लिये ग्राम पंचायत छान्देल कलां के सरपंच मुकेश कुमार बलाई स्वंय ने एक लाख रुपये रिश्वत की मांग की है तथा 70 हजार रुपये भी स्वंय ने ही लिये है तथा अब 30 हजार रुपये भी स्वंय ही मांग रहा है। परिवाद में रिश्वत के संबंध में अंकित अन्य व्यक्तियों द्वारा रिश्वत की मांग की जाने पर मैं आपको आवश्यक रुप से अवगत कराऊंगा। उक्त परिवाद एवं मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांगने का पाया जाने पर रिश्वत मांग सत्यापन का निर्णय लिया गया। परिवादी को विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू व बंद करने का तरीका समझाकर श्री राजकुमार कानि. नं. 364 का परिवादी श्री दयाराम सैनी से परिचय करवाया जाकर दिनांक 08.03.2021 को श्री राजकुमार कानि. को परिवादी के पास अग्रिम कार्यवाही हेतु रवाना किया गया। उसके बाद श्री राजकुमार कानि. ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आकर मन् उप अधीक्षक को विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर सुपुर्द किया व परिवादी ने बताया कि उसकी ग्राम पंचायत छान्देल कलां के सरपंच मुकेश कुमार से वार्ता हुई है, जिसने मुझसे मेरा बीपीएल का पट्टा देने की ऐवज में शेष 30,000 रुपये रिश्वत राशि की मांग की, मेरे द्वारा निवेदन करने पर सरपंच जी द्वारा 15,000 रुपये रिश्वत राशि ओर देने की सहमति की गई। मेरे द्वारा सरपंच को 70,000 रुपये पूर्व में दिये जा चुके है। इसके बाद दिनांक 10.03.2022 को परिवादी श्री दयाराम सैनी ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया तथा पाबंदशुदा स्वतंत्र गवाहान भी उपस्थित आये। परिवादी व स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाते हुए ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान के रूप में उपस्थित रहने की सहमति चाही गई तो दोनों ने अपनी-अपनी मौखिक स्वीकृति प्रदान की। दिनांक 08.03.2022 की रिश्वत मांग सत्यापन की रिकार्ड वार्ता की वार्ता रूपान्तरण तैयार की जाकर फर्द ट्रासंक्रिप्ट तैयार की जाकर वॉईस क्लिप 03 डीवीडी में रिकार्ड/सेव कर मार्का अंकित किया जाकर डीवीडी कवर में रखकर अलग-अलग कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर की गयी। पैकेटों पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये व डीवीडी अनुसार कपड़े के पैकेटों पर मार्क अंकित किये गये। परिवादी श्री दयाराम सैनी को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष संदिग्ध आरोपी को रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहने पर परिवादी ने अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि 2000-2000 रूपये के 02 नोट व 500-500 रूपये के 22 नोट कुल 15,000 रूपये पेश किये। उक्त नोटों को फर्द में अंकित करवाकर नोटों पर श्री बंशीधर कानि. 363 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर उक्त नोटों पर नियमानुसार फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। जिसकी फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट पृथक से तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। इसके बाद मन् उप अधीक्षक पुलिस नीरज गुरनानी, श्री श्रवण कुमार पुलिस निरीक्षक, श्री राजेश हैड कानि. 41, श्री हरिसिंह कानि. नम्बर 19, श्री राजकुमार कानि. 364, श्री लालू सैनी